कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः— शिविरा /माध्य./मा द छा.प्रो.प्र/अ/पन्नाधाय/जीअयो/2016—17/ दिनांक : 27/7/16

1. निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

2.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक—प्रथम/ द्वितीय) शिक्षा विभाग

विषय :—. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) के अन्तर्गत वर्ष 2016—17 के आवेदन भरवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा लाभ एवं छात्रवृत्ति देने के लिए पन्नधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) लागु है। इस योजनान्तर्गत बीमित सदस्य के दो बच्चों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने भारत सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है,यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित है, इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है।

शासन सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9(5)(25) पन्नाधाय/सा.न्या.अधि./07—08 / 3825—3923 दिनांक 24.07.2007 के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देय यह छात्रवृत्ति किसी भी अन्य छात्रवृत्ति के साथ अतिरिक्त छात्रवृत्ति के रूप में देय है। छात्रवृत्ति की पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार हैं—

पात्रता—

1. बीमित सदस्य के कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को यह छात्रवृत्ति देय है।
2. अभिभावक का इस योजना के अन्तर्गत बीमित होना आवश्यक है।
3. छात्र/छात्रा के अनुतीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति का भुगतान देय नहीं

छात्रवृत्ति दर

1. रूपये 100 प्रति छात्र प्रतिमाह अथवा 300 रू प्रति छात्र प्रति तिमाही के आधार पर प्रतिवर्ष 1200रू प्रतिछात्र किन्तु अधिकतम 4 वर्षो के लिए देय है।

कार्यकारी एजेन्सी

1. ग्रामीण क्षेत्र में योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम सेवक के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
2. शहरी क्षेत्र में योजना का क्रियान्वयन नगर पालिका/नगर परिषद/ नगर निगम के अधिशाषी अधिकारी/ आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

इस योजना के पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन— पत्र के सम्बन्ध नीचे वर्णित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्विति हेतु निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबन्द करें कि उक्त कार्यकारी एजेन्सी से समन्वय बनाकर उनके माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को आवेदन — पत्र भिजवाना सुनिश्चित करे। इस हेतु छात्र—छात्राओं के बैंक अकाउंट नम्बर तथा प्थ्ैब् बवकम भी संबंधित एजेन्सी को उपलब्ध करावें। ताकि भुगतान सीधे बैंक खातों में हो सके।

क्र.स.	चरण	दिनांक तक
1.	संस्था प्रधान द्वारा पात्र छात्र — छात्राओं के आवेदन पत्र भरवाकर सूचीबद्ध करना	08.08.2016
2.	संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्रों को संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को प्रस्तुत करना एव उसकी प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना	16.08.2016
3.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अधीनस्थ संस्था प्रधानों से प्राप्त सूची को समेकित कर जिला स्तर पर भरे गये आवेदन पत्रों का संकलित रिकार्ड तैयार करना	23.08.2016
4.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित कार्यकारी एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजे गये आवेदनों की जानकारी लेना।	29.08.2016
5.	समस्त आवेदन पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजे जाने का प्रमाण—पत्र संबंधित मंडल अधिकारी को प्रस्तुत करना।	31.08.2016
6.	मंडल अधिकारी द्वारा समेकित प्रमाण—पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करना।	03.09.2016

उपर्युक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही कर प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) अपने मंडल अधिकारी को अग्रांकित प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे "**प्रमाणित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2016–17 में जिले में अध्ययनरत सभी पात्र छात्र–छात्राओं से आवेदन पत्र भरवा लिए गए है तथा उनकी पूर्ण रूप से पूर्ति कर संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को जमा करवा दिये गये है तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया है कि जमा करवाये गये आवेदन–पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान संबंधी कार्यवाही हेतु भिजवा दिये गये है। कोई भी पात्र छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र जमा करवाना शेष नहीं है।**" समस्त मडंल अधिकारी उक्त प्रमाण–पत्रों के आधार पर अपने मंडल का समेकित प्रमाण–पत्र निर्धारित दिनांक तक निदेशालय तक पहुँचाना सुनिशिचित करेंगे।

आप उपर वर्णित निर्देशों का गहनता से अध्ययन कर अधीनस्थ कार्यालयों को कार्यवाही हेतु पाबन्द करें। इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। यह सुनिश्चित भी करे की कोई भी पात्र छात्र/छात्रा योजना के लाभ से वंचित नही रहे। आप द्वारा सही प्रबंधन व प्रबोधन न किये जाने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही भी की जा सकती है।

बी0एल0स्वर्णकार)
आई0ए0एस0
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक(पेंशन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. समस्त उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग को भेजकर लेख है कि आप उपर दिये निर्देशों के अनुसार अधिनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करें एवं योजना की प्रभावी मोनेटरिंग करे तथा निर्धारित तिथि तक अपने अधीनस्थ जिशिअ से प्रमाणपत्र प्राप्त कर समेकित प्रमाणपत्र निदेशालय को प्रेषित करें।
4. सिस्टम एनॉलिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त राजकीय मावि/उमावि के ई–मेल पते पर प्रेषित करने के लिए।
5. समस्त संस्था प्रधान उमावि/मावि को पत्रानुसार कार्यवाही सम्पन्न करने तथा पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन यथासमय संबंधित कार्यकारी एजेंसी को उपलब्ध करवाने हेतु।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

F:/NIGSE/PANADHAYA/LETTER